

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

मांग संख्या 77

पर्यटन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	126.15	27.04	153.19	99.78	28.44	128.22	104.35	31.19	135.54
पूंजी	8.85	...	8.85	25.22	...	25.22	45.65	...	45.65
जोड़	135.00	27.04	162.04	125.00	28.44	153.44	150.00	31.19	181.19
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.62	...	0.68	0.68	...	0.72	0.72
पर्यटन									
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	...	17.46	...	17.12	17.12	...	28.98	28.98
3. पर्यटक सूचना और प्रचार									
3.01 देशीय अभियान	3452	7.00	0.20	6.00	0.18	6.18	7.00	0.20	7.20
3.02 समुद्रपारीय अभियान	3452	49.75	7.50	50.75	9.38	60.13	51.00	...	51.00
जोड़		56.75	7.70	56.75	9.56	66.31	58.00	0.20	58.20
4. पर्यटक आधारभूत ढांचा	3452	20.25	...	19.38	...	19.38	5.00	...	5.00
	5452	8.85	...	25.22	...	25.22	34.85	...	34.85
जोड़		29.10	...	44.60	...	44.60	39.85	...	39.85
5. प्रशिक्षण	3452	16.65	0.75	10.65	0.55	11.20	10.35	0.75	11.10
6. अन्य व्यय	3452	19.00	0.51	13.00	0.53	13.53	25.00	0.54	25.54
	5452
जोड़		19.00	0.51	13.00	0.53	13.53	25.00	0.54	25.54
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	13.50	6.00	...	6.00
	4552	8.80	...	8.80
8. आईटीडीसी को ऋण	7452	2.00	...	2.00
जोड़-पर्यटन		135.00	26.42	161.42	125.00	27.76	152.76	150.00	30.47
कुल जोड़		135.00	27.04	162.04	125.00	28.44	153.44	150.00	31.19
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.
7.01 भारतीय पर्यटन विकास निगम	13452	...	60.00	60.00	...	11.25	11.25	...	29.50
ग. आयोजना परिव्यय	13452	135.00	60.00	195.00	125.00	11.25	136.25	150.00	29.50
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं - पर्यटन									

1. इसमें विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी जानकारी देना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबंधित विभिन्न खंडों जैसे होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, मार्गदर्शकों आदि का विनियमन करना है।

3. संवर्धन और विपणन भारत और विदेश में स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। नियमित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, प्रचार सामग्री का उत्पादन, प्रचार माध्यम और जन संपर्क, भारत दर्शन सहस्राब्दी वर्ष, विपणन विकास सहायता स्कीम सहित आतिथ्य और विशेष अभियान वर्ष 2000-2001 से आगे तक प्रारंभ किया गया है। इस योजना, जो इस समय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रचालित की जाती है, के अधीन पर्यटन क्षेत्र में पणधारी और स्टार ट्रेडिंग हाऊस भी बाजार विकास के लिए सहायता लेने के पात्र हैं। इसे पर्यटन "निर्यात गृह" का दर्जा देने के बाद पर्यटन उद्यमों के लिए अनुमोदित किया गया था।

पर्यटन के विकास की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय बाधाओं के दृष्टिगत एक राष्ट्रीय पर्यटन विकास निधि स्थापित करना प्रस्तावित है जो एक स्व-वित्तपोषण संचय निधि होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पर्यटन उत्पाद को मानकीकृत करने और शिक्षा में सुधार करने के लिए पर्यटन क्षेत्र से होने वाली आय के पुनःनिवेश द्वारा वृद्धि की जाएगी।

4. यह व्यवस्था पर्यटक रुचि वाले स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं जैसे

पर्यटक बंगलों, यात्री निवासों, वन लाजों, मार्ग सुविधाओं, समुद्र के किनारे सैरगाहों, देशान्तर गमन (ट्रेकिंग)/पर्वतारोहण/शरतकालीन जल खेलों से संबंधित उपकरणों, गोल्फ कोर्सों/स्मारकों के पुनर्परिषज्जन की खरीद पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

5. देश में पर्यटन विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का होना अनिवार्य कार्य है। वर्तमान में, होटल प्रबंधक के 21 संस्थान और 13 खाद्य शिल्प संस्थान हैं। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आई.आई.टी.टी.एम.), राष्ट्रीय जल खेल संस्थान (एन.आई.डब्ल्यू.एस.) दो अन्य निकाय हैं, जो पर्यटन के लिए जनशक्ति विकास में शामिल हैं। इसके साथ-साथ, प्रशिक्षण गाईड, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

नौएडा में एक भवन काम्प्लेक्स के विनिर्माण का प्रस्ताव है जिसमें आई.आई.टी.टी.एम. का क्षेत्रीय कार्यालय, होटल प्रबंधन और खान-पान प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय परिषद का भवन होगा और उन्नत होटल प्रबंधन तथा पाक कला संस्थान पर्यटन शिक्षा ग्रिड के रूप में कार्य करेगा।

6. यह व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं को होटलों के निर्माण, बाजार अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान करने के लिए उनके द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज विभेदक आर्थिक सहायता का भुगतान करने के लिए है।

7. उत्तर-पूर्व में विविध पर्यटन की उपलब्धता से, उस क्षेत्र में पर्यटन विकास का अभूतपूर्व क्षेत्र है। पर्यटन मंत्रालय के बजट आबंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए निर्धारित किया गया है।

8. इसमें चंडीगढ़ में होटल के निर्माण के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को बजटीय सहायता के लिए व्यवस्था है।